मु.मं.घो.
टी.एस.पी.

संख्या–2680 / III–2/05–02 (मु.मं.घो.)/2003

प्रेषक,

टी0के0 पन्त,
संयुक्त सचिव,
उत्तरांचल शासन ।

सेवामे,

मुख्य अभियन्ता स्तर–1,
लोक निर्माण विभाग,दे.दून ।

लोक निर्माण अनुभाग–2

देहरादून,दिनांक 19 दिसम्बर , 2005

विषयः– जनपद उत्तरकाशी के डामटा नामक स्थान के नीचे क्यारा गांव के समीप यमुना नदी पर 84 मी0 विस्तार के लौह सेतु का निर्माण के पुनरीक्षित आगणन की प्रशासकीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रश्नगत कार्य का आगणन के सन्दर्भ में एवं शासनादेश सं0 171/लो.नि. अनु.1/2004 02 (मु.मं.घो.)/2003 दिनांक 12 फरवरी,2004 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त संदर्भित शासनादेश द्वारा डामटा नामक स्थान के नीचे क्यारा गाँव के समीप यमुना नदी पर 80 मी0 विस्तार के लौह सेतु निर्माण की मूल प्रशासकीय स्वीकृति रू0 130.40 लाख एवं रू0 1.00 लाख(रू0 एक लाख मात्र) की धनराशि के व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई थी जिसके सापेक्ष प्रश्नगत कार्य का (लम्बाई 84मी0 लौह सेतु) रू0 187.69 लाख की लागत का संशोधित आगणन शासन में उपलब्ध कराया गया है। अतएव उक्त कार्य की पूर्व स्वीकृति को निरस्त करते हुए प्रश्नगत कार्य के पुनरीक्षित आगणन रू0 187.69 लाख पर टी.ए.सी. वित्त द्वारा परीक्षणोपरान्त आंकलित रू0 173.30 लाख (रू0 एक करोड तिहत्तर लाख तीस हजार मात्र) की लागत के पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं। उक्त कार्य एक चालू कार्य है अतः इस पर धनराशि का व्यय शासनादेश सं0 1114/III(2)/05 34 (बजट)/2005 दिनांक 30 मई,2005 के द्वारा आपके निवर्तन पर रखी गई धनराशि से ही किया जायेगा। इस शासनादेश से अब कोई धनराशि अवमुक्त नहीं की जा रही है।

1. आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है,अथवा बाजार भाव से ली गई हो,की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा ।

2. कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन /मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किए जाय।

3. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत मार्ग है,स्वीकृत मार्ग से अधिक व्यय कदापि न किया जाय ।

4. एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

5. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें ।

6. कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली भांति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं मुख्य अभियन्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाये।

आगणन में जिन मदो हेतु जो राशि आकलित/स्वीकृत की गई है। व्यय उसी मद में किया जाए,एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाये।

8. निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग मे लाया जाए ।

9. कार्य की गुणवत्ता पर विशेष बल दिया जायेगा । कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का पूर्ण उत्तरदायित्व निर्माण एजेन्सी/अधिशासी अभियन्ता का होगा ।

10. व्यय करने से पूर्व जिन मामलो मे बजट मैनुअल,वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमो तथा अन्य स्थायी आदेशो के अर्न्तगत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो,उनमे व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनो/पुनरीक्षित आगणनो पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ–साथ विस्तृत आगणनो पर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाय। कार्य कराते समय टैण्डर विषयक नियमो का भी अनुपालन किया जायेगा ।

11. इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2004 05 में समाज कल्याण विभाग के अनुदान संख्या–31 लेखाशीर्षक 5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय –04 जिला तथा अन्य सड़के–आयोजनागत–796 जनजातिय क्षेत्र उपयोजना –02 चालू निर्माण कार्य 00 24 वृहत निर्माण कार्य की मद के नामे डाला जायेगा ।

13. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–यू.ओ. 219/**XXVII**(2)/2005 दिनांक, 17 दिसम्बर, 2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(टी.के.पन्त)
संयुक्त सचिव।

संख्या–२०२८ (1)/III–2/04,तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार (लेखा प्रथम) उत्तरांचल,इलाहाबाद / देहरादून ।
2– आयुक्त गढ़वाल मंडल, पौढ़ी ।
3– जिलाधिकारी/ कोषाधिकारी ,देहरादून ।
4– मुख्य अभियन्ता , गढ़वाल क्षेत्र,लो0नि0वि0, पौढ़ी ।
5– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6– निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र,उत्तरांचल देहरादून।
7– अधीक्षण अभियन्ता, 24 वां वृत्त लो0नि0वि0, देहरादून ।
8– अधिशासी अभियन्ता अस्थाई खण्ड,लो0नि0वि0 साहिया (कालसी) ।
9– वित्त अनुभाग–2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ उत्तरांचल शासन।
10– लोक निर्माण अनुभाग–1/3 उत्तरांचल शासन
11– गार्ड बुक ।

आज्ञा से

(टी0के0 पन्त)
संयुक्त सचिव ।